सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 295/21 **दिनांक- 20 जून 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना फूलपुर

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.03.2021 को वादी थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 44/2021 धारा 376डी,504,506,452 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम 1. मो0 फैज आलम पुत्र मोईन साकिन भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ़ का नामजदगी अभियोग पंजीकृत किया गया था व विवेचना के दौरान पिडिता के बयान से अभियुक्त 2. इसराइल पुत्र मुस्ताक नि0 भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार अवस्थी थाना फूलपुर द्वारा आज दिनाकं 20.06.2021 को मय हमराह के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , पेंण्डिग विवेचना , चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति भोरमऊ पुलिया पर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 44/2021 धारा 376डी,504,506,452 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट **थाना फूलपुर जनपद** आजमगढ से सम्बन्धित अभियुक्त इसराइल पुत्र मुस्ताक नि0 भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ **को समय करीब 09.06 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

सम्बन्धित मुकदमा –

मु0अ0सं0 44/2021 धारा 376डी,504,506,452 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट **थाना फूलपुर जनपद** आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त- .

इसराइल पुत्र मुस्ताक नि0 भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अवधेश कुमार अवस्थी (अपराध)
2. का0 श्रवण कुमार शुक्ला
3. का0 अरविन्द कुमार
4. म0का0 संजू सरोज
5. रि0म0का0 शालिनी मिश्रा

थाना- कप्तानगंज

दहेज हत्या से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 03.04.2021 को श्री प्रदीप निषाद पुत्र स्व0 बलदेव निषाद निवासी कठही पो0 युधिष्ठिर पट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ नें थाना कप्तानगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी बहन शान्ती की शादी राममिलन निषाद पुत्र अनार निषाद ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी। जिसको पति राममिलन निषाद व उसके परिवारी जनों द्वारा दहेज की माँग को लेकर हत्या कर दिया गया । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर दिनांक 03.04.21 को मु0अ0सं0 46/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20.06.2021 को प्र0नि0 कप्तानगंज देवानन्द मयहमराह द्वारा तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीरी सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता श्रीमती मालती देवी पत्नी अनार निषाद ग्राम हसनपुर

थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.10 बजे उसके घर ग्राम हसनपुर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 46/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्ता

श्रीमती मालती देवी पत्नी अनार निषाद ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. प्र0नि0 देवानन्द थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 मोहम्मद जावेद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 दिनेश कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
5. म0का0 दुर्गेश कुमारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुर

04 वाँछित अभियुक्तगण / अभियुक्ता गिरफ्तार

आवेदिका श्रीमती निशा देवी पत्नी अन्तराम यादवनिवासीभिलौली खालसा (ऊचवांपुर) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ के लिखित तहरीर दिनांक 18-06-2021 को समय करीब 09.00 बजे रात्रि मे जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर मेरे पति व मेरे ज्येष्ठ मेवालाल पुत्र स्व0 गोविन्द यादव उनके लड़के इन्द्रजीत यादव व अमरजीत यादव व उनकी पत्नी मनदेई आपस मे गाली गुप्ता तू-तू मै-मै कर रहे थे । मेरे पति तथा मेरे ज्येष्ठ व उनके लड़के सभी नशे की हालत में थे बातचीत करते करते मेवालाल यादव उनके लड़के इन्द्रजीत यादव व अमरजीत यादव व उनकी पत्नी मनदेई आपस मे एक राय होकर मेरे पति को मारने पीटने लगे तथा इन्द्रजीत मेरे पति के सीने मे चढकर मारा पीटा । मार पीट मे आयी चोटो के कारण मेरे पति के सीने मे तेज दर्ज होने लगा जिससे मेरे पति मुझसे पानी मांगने लगे पानी पिलाकर चारपाई पर जाकर उनको लिटा दिये जिससे कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गयी। आवेदिका के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/21धारा 304,504 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 शत्रुघ्न कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व मे आज दिनांक 20.06.2021 को प्र0नि0 शत्रुघ्न कुमार मय हमराह व0उ0नि0 बसन्त लाल, का0 अमित कुमार, का0 विनोद कुमार, का0 गौरव कुमार, रि0म0का0 रिंकी शर्मा के थाना स्थानीय से प्रस्थानीत होकर तलाश वांछित अभियुक्त टीकापुर तिराहा मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई की मु0अ0सं0 45/21 धारा 304,504 भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. मेवालाल यादव पुत्र स्व0 गोविन्द यादव 2. इन्द्रजीत यादव पुत्र मेवालाल यादव 3. अमरजीत यादव पुत्र मेवालाल यादव 4. मनदेई पत्नी मेवालाल यादव निवासीगण भिलौली खालसा (ऊँचवापुर), थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ इस समय सोफीपुर चौराहे पर मौजूद है कही जाने की फिराक में किसी साधन का इन्तजार कर रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराह व मय मुखबीर के सोफीपुर चौराहा से थोड़ा पहले पहुँचे तो मुखबीर खास द्वारा इशारा करके बताया गया कि वह चारो लोग जो चौराहे पर गुमटी के पास खड़े है वही मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण उपरोक्त है। बताकर मुखबीर हटबढ़ गया। कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर अभियुक्तगण को नाम पता तस्दीक करते हुए समय करीब 12.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 45/21 धारा 304,504 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मेवालाल यादव पुत्र स्व0 गोविन्द यादव
2. इन्द्रजीत यादव पुत्र मेवालाल यादव
3. अमरजीत यादव पुत्र मेवालाल यादव,
4. मनदेई पत्नी मेवालाल यादव निवासीगण भिलौली खालसा (ऊँचवापुर), थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 शत्रुघ्न कुमार
2. व0उ0नि0 बसन्त लाल
3. का0 अमित कुमार
4. का0 गौरव कुमार
5. का0 विनोद कुमार
6. रि0म0का0 रिंकी शर्मा

थाना- मेहनगर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस आधिक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द्र तिवारी मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश वांछित अभियुक्त मे मामूर थे कि जरिए मुखबीर खास के सूचना मिली कि मु 0अ0सं0 195/20 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा सा0 गजेन्द्रपुर कहिनौर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ किसी कार्य को लेकर सिहंपुर आया हुआ है जो वहा से कही जाने के फिराक मे है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराहियान मय मुखबीर खास के सिहंपुर बाजार आये मुखबीर खास इशारा करके हट बढ गया कि पुलिस टीम को आता देखकर अभियुक्त भागने की कोशिश किया कि हमराही कर्म0गण की मदद से घेरकर पकड लिया गया। अभियुक्त दीपक शर्मा उपरोक्त को समय करीब 09.15 बजे उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुआ हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

दीपक शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा सा0 गजेन्द्रपुर कहिनौर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 124/20 धारा 394/411/120बी भादवि
2. मु0अ0स0117/20धारा 307/41/411/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर
3. मु0अ0स0 194/20 धारा 379/411 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ
4. मु0अ0सं0 195/20 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्टथाना मेहनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द्र तिवारी मय हमराहियान के

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 21 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।